

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2019/अग्रहायण 12, 1941 No. 442] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2019/AGRAHAYANA 12, 1941

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (ब) तथा धारा 14 की उप-धारा (2) खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत: -

- इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2019 है ।
- 2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में:-
 - (I) विनियम 7 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान (ii) को निरस्त माना जाएगा I

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-॥।/4/असा./329/19]

6226 GI/2019 (1)

पाद टिप्पणी :

- 1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग ॥।, खंड 4 में 17 जून 2016 को प्रकाशित किया गया।
- 2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग ॥।, खंड 4 में 5 मई 2017 को प्रकाशित किया गया।
- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग ॥।, खंड 4 में 1 जून 2017 को प्रकाशित किया गया।
- 4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग ॥।, खंड 4 में 11 सितम्बर 2017 को प्रकाशित किया गया।
- 5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017, को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग ॥॥, खंड 4 में 28 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (RETIREMENT ADVISER) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (w) of sub-section (2) thereof and clause (d) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 namely, -

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fifth Amendment) Regulations, 2019.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016: -
 - (I) Proviso (ii) to sub-regulation (b) of regulation 7 shall stand omitted.

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT-III/4/Exty./329/19]

Footnote:

- 1. The Principal regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 17th June, 2016 vide No. PFRDA/12/RGL/139/1.
- 2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 5th May 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/10.
- 3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 1st June 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/10.

- 4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Third Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 11th September 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/10.
- 5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 28th December 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/10.